न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 10/2023

प्रार्थी

महेन्द्र सिंह पुत्र मोतीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, बरलुट जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, बरलुट, तह. व जिला–सिरोही
(2) श्रीमती शांतिदेवी पत्नी वीसाराम जी, जाति– लोहार, निवासी– रामदेव मन्दिर वाली गली, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही
(3) मोटाराम पुत्र श्री कुपाराम, जाति–मेघवाल, निवासी– बरलुट, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 28 अगस्त, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी शांतिदेवी पत्नी वीसाराम जी, जाति– लोहार, निवासी– रामदेवी मन्दिर वाली गली, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड के निःशुल्क आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 03.6.1989 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, बरलुट से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई। प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से दिनांक 27.3.2024 को निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत हुआ। जबकि प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया। तत्पश्चात् प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.5.2024 को अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से इस प्रकरण में पैरवी करने के संबंध में कोई निर्देश नही (No Instruction) होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी संख्या–2 व 3 उपस्थित हुए। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचाययत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) को 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ के निःशुल्क आवंटन का पट्टा दिनांक 03.6.1989 को जारी किया गया है, जिसमें अंकित चतुर्दशी अनुसार उत्तर में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में भूखण्ड़ संख्या 11, पूर्व में भूखण्ड़ [illegible] पश्चिम में रास्ता 20 फीट स्थित है।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

जिसका नाप उत्तर–दक्षिण में 30 फीट व पूर्व–पश्चिम 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट है। यह कि अप्रार्थी शांतिदेवी को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कारीगर, लघु व सीमान्त कृषक को निःशुल्क भूमि आवटन के नियमों के तहत जारी किया गया है, जिसमें अप्रार्थी शांतिदेवी ने स्वयं को भूमिहीन व भूखण्ड़ का आवश्यकता होना बताते हुए निःशुल्क आवंटन करवाकर पट्टा जारी करवाया था। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) को जारी पट्टे में यह शर्त अधिरोपित थी कि आवंटित भूखण्ड़ का किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण नही किया जायेगा एवं इस निःशुल्क आवंटित भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में यदि निर्माण कार्य नही किया गया तो भू खण्ड़ वापिस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) ने उक्त निःशुल्क आवंटित भूमि का अप्रार्थी संख्या– 3 (मोटाराम) को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया है, जो पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 135 पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 202203085102166 पर उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीबद्ध है। इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या–2 (दो) द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ का विक्रय करके पट्टे में अंकित शर्त संख्या–3 का उल्लंघन किया है। जबकि निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के पट्टे की भूमि का कानूनन किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नही किया जा सकता है। यह कि अप्रार्थी संख्या– 2 (शांतिदेवी) ने निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ का कभी भी उपयोग नही किया है एवं न ही निर्माण करवाया है। अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) ने उक्त पट्टेशुदा भूमि का न तो कब्जा प्राप्त किया है एवं न ही कभी अप्रार्थी शांतिदेवी ने निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त की है। मौके पर आज भी भूखण्ड़ खुला है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में भी प्रश्नगत भूखण्ड़ को खुला भूखण्ड दर्शाया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–2 (दो) ने उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के 2 वर्ष के भीतर मकान या झौपडे का निर्माण नही करवाया है एवं मौके पर भूखण्ड़ खाली भूमि है। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या–2 ने पट्टे में अंकित शर्त संख्या–8 का भी उल्लंघन किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) ने स्वयं को भूमिहीन बताते हुए भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करवाकर पट्टा प्राप्त किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) का उक्त निःशुल्क पट्टा जारी करते समय ग्राम बरलुट में स्वयं का पुश्तैनी मकान उपलब्ध था जिसमें वह पूर्व से लेकर अब तक निवास कर रही है। यह कि ग्राम पंचायत, बरलुट ने निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) के पक्ष में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 03.6.1989 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी शांतिदेवी पत्नी वीसारामजी, जाति– लोहार, निवासी– बरलुट को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ के निःशुल्क आवंटन का पट्टा दिनांक 03.6.1989 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी शांतिदेवी पत्नी वीसाराम जी, जाति– लोहार, निवासी– बरलुट ने ग्राम पंचायत, बरलुट में दिनांक 03.6.1989 को आवासीय भूखण्ड़ आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी शांतिदेवी पत्नी वीसाराम जी, जाति– लोहार, निवासी– बरलुट को भूखण्ड़ संख्या 10A साईज 30x45 वर्गफीट का निःशुल्क आवांटन कर पट्टा दिनांक 03.6.1989 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 267(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति,

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जन जातियों, पिछड़ी जातियों के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पियों और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास गृहस्थल/गृह नही है को ग्रामीण आबादी में 150 वर्ग गज अर्थात् 1350 वर्गफीट आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान था।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) को जारी पट्टे में यह शर्त अधिरोपित थी कि आवंटित भूखण्ड़ का किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण नही किया जायेगा एवं इस निःशुल्क आवंटित भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में यदि निर्माण कार्य नही किया गया तो भू खण्ड़ वापिस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) ने उक्त निःशुल्क आवंटित भूमि का अप्रार्थी संख्या– 3 (मोटाराम) को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया है।'' प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) ने उक्त पट्टा दिनांक 03.6.1989 की भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 202203085102166 दिनांक 03.6.2022 से श्री मोटाराम पुत्र कुपारामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– जावाल को विक्रय कर दिया है।

इस सबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित है कि तत्समय प्रभावी, राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अर्न्तगत ऐसा कोई प्रावधान नही है कि जिस किसी पात्र व्यक्ति को इन नियमों के तहत निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के पट्टे की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरण या विक्रय नही किया जा सकता हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या–2 (शांतिदेवी) के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा दिनांक 03.6.1989 को जारी होने के करीब 33 वर्षो के बाद प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। इस प्रकार, प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण के अधिकारों की सरंचना को अवरुद्ध करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार की कोई Locus Standy नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 अगस्त, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:07 IST
Reason: SelfAttested